राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

R RTE 27/8/2015

क्रमांक प. 9 (6)/शिक्षा–5/आरटीई2009 पालना/2015 जयपुर दिनांक 21-8-15

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

2506

विषयः– दिनांक 13.5.2015 को सम्पन्न हुई राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में लिये निर्णयों के बिन्दु संख्या 8 की अनुपालना के संबंध में ।

सन्दर्भः– आपका पत्र क्रमांक शिविरा/प्रारं/आरटीई/बी/सॉफ्टवेयर/18891/15–16/08 दिनांक 29.7.2015

2141

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के कम में निर्देशानुसार लेख है कि गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा स्वाघोषणा प्ररूप– 01 में वांछित सूचना भरकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) को प्रस्तुत करने हेतु 31 दिसम्बर, 2015 तक एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा प्ररूप–02 में प्रमाण पत्र 31 जनवरी, 2016 तक जारी करने हेतु समय दिया जाता है । निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करावें ।

भवदीय,
21/08/15
(नसीरूद्दीन कुरेशी)
व.शासन उप सचिव

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आरटीई/बी/18891/सॉफ्टवेयर/15–16/37 दिनांकः– 01/9/15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा के समस्त उप निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालायों को उक्तानुसार कार्यवाही के लिए निर्देशित करवाने का श्रम करावें।
4. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
5. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक एवं प्रोजेक्ट समन्वयक, एन.आई.सी. केन्द्र शासन सचिवालय, जयपुर को पत्र प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त आदेश पोर्टल पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
6. उप निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा........................को प्रेषित कर लेख है कि मण्डल के अधीन जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा को उपरोक्त अनुसार कायवाही करने हेतु पाबन्द करवाते हुए नियमित मोनेटरिंग करना सुनिश्चित करें तथा मोनेटरिंग की सूचना संबंधित निदेशालय को प्रेषित करवाने का सुनिश्चित करें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा.शि.).....................को प्रेषित कर लेख है कि जिले में ऐसे प्रा/उप्रा/मा/उमा गैर सरकारी विद्यालय जिन्होने पूर्व में प्ररूप 01 में स्वघोषणा भरकर प्रसतुत नही की उनसे निर्धारित समयावधि में प्ररूप 1 में स्वघोषणा प्राप्त कर नियमानुसार विद्यालय का निरीक्षण करवाकर 31.01.16 तक आवश्यक रूप से प्ररूप 2 में प्रमाण पत्र जारी करें।
8. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा(समस्त).............................को प्रेषित कर लेख है कि आप अपने अधीनस्थ माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को पाबन्द करवावें की वे प्ररूप 01 में वांछित सूचना भरकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। जिसकी आप नियमित मोनेटरिंग करना सुनिश्ति करें।
9. ऐसे गैर सरकारी विद्यालय जिन्होंने अब तक स्वघोषणा प्ररूप 01 में भरकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को प्रस्तुत नहीं की है वे दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, विलम्ब के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगें।

अतिरिक्त निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
बीकानेर